

पंचायत
२७/१०/२०

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.१६(१)वि.मा./२०२०

जयपुर, दिनांक २७ अक्टूबर, २०२०

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ ७(१)(१)पंचा/रानिआ/२०२०/८८६० दिनांक २४.१०.२०२० द्वारा घोषित संलग्न सूची के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के २१ जिलों में आम चुनाव माह अक्टूबर-दिसम्बर, २०२० हेतु मतदान चार चरणों में चरणवार दिनांक २३.११.२०२०, २७.११.२०२०, ०१.१२.२०२० एवं ०५.१२.२०२० के लिए घोषित किए गए आम चुनाव होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या २०/२५/५६ पब./१ दिनांक ८ जून, १९५७ के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, १८८१ (१८८१ का अधिनियम २६) की धारा २५ के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायतीराज संस्थाओं के उक्त आम चुनाव दिनांक २३.११.२०२० (सोमवार), २७.११.२०२० (शुक्रवार), ०१.१२.२०२० (मंगलवार) एवं ०५.१२.२०२० (शनिवार) को (संलग्न सूची अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) १८८१ के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से



(शरद मेहरा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. ०१४१-२२२७२८०, २२२७०७२, २२२७४०७)

क्रमांक:एफ. ७(१)(१)/पंचा/रानिआ/२०२०/१३५०

दिनांक: ०५/११/२०२०

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



उपसचिव

राज्य निर्वाचन आयोग